वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए ईसीजीसी लिमिटेड में नियुक्त बीमांकिक के कार्य की समीक्षा के लिए बाह्य सहसमीक्षक के रूप में व्यक्तिगत/फर्म बीमांकिक की नियुक्ति

के लिए

सीमित निविदा पूछताछ

एल टी ई संदर्भ संख्या: ई सी जी सी/ए सी टी एल/पी आर/24-25 एंड 25-26

दिनांक: 03-फरवरी-2025

ईसीजीसी लिमिटेड

ईसीजीसी भवन, सीटीएस सं. 393, 393/1 to 45, एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400069

विषय-सूची

भाग - 1 3

भाग – 2 6

भाग – 3 8

भाग – 4 18

अनुलग्नक – 1 18

अनुलग्नक – 2 19

अनुलग्नक – 3 22

अनुलग्नक – 4 23

अनुलग्नक – 5 25

अनुलग्नक – 6 26

अनुलग्नक – 7 28

अनुलग्नक – 8 28

अनुलग्नक – 9 30

अनुलग्नक – 10 41

भाग - 1

1. परिचय

1.1 बोलिकर्ताओं को आमंत्रण

इस सीमित निविदा पूछताछ (‘**एलटीई**’) दस्तावेज़ के जरिए (जिसे आगे ‘बोली दस्तावेज़’ अथवा ‘एलटीई दस्तावेज़’ भी कहा जाएगा) ईसीजीसी लिमिटेड (जिसे आगे ‘ईसीजीसी / कंपनी’ कहा जाएगा), भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एवं 1957 में स्थापित एक कंपनी, अनुलग्नक -1 में उल्लिखित पात्र बीमांकिक/फर्मों से (जिन्हें आगे (**बोलीदाता(ओं)** के रूप में संदर्भित किया जाएगा) **वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए ईसीजीसी लिमिटेड में नियुक्त बीमांकिक के कार्य की समीक्षा के लिए बाह्य सह समीक्षक के रूप में व्यक्तिगत/फर्म बीमांकिक की नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियां आमंत्रित करती है।**

सहायक दस्तावेजों के साथ “तकनीकी एवं मूल्य/वाणिज्यिक बोलियां” केवल भौतिक रूप में प्राप्त की जाएंगी। बोलीदाताओं को एलटीई दस्तावेज़ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। बोलियों का प्रस्तुतीकरण एलटीई दस्तावेज के निहितार्थों की पूर्ण समझ के साथ सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं जांच के पश्चत किया गया माना जाएगा।

एलटीई दस्तावेज़ कंपनी की वेबसाइट www.ecgc.in पर प्रकाशित किया जाएगा एवं केवल वे बोलीदाता ही इसमें भाग लेंगे जिन्हें कंपनी द्वारा ई-मेल के जरिए बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है एवं वे इसे कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

एलटीई दस्तावेज़ हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होगा। उपर्युक्त दो संस्करणों के मध्य किसी भी विसंगति की स्थिति में, एलटीई दस्तावेज़ की भावना, उद्देश्य एवं अर्थ निर्धारित करने में अंग्रेजी संस्करण को ही प्राथमिकता दी जाएगी।

कृपया ध्यान दें कि वांछित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। अपूर्ण जानकारी के कारण बोली नामंज़ूर हो सकती है। कंपनी स्वयं के विवेकानुसार इस एलटीई दस्तावेज़ में उल्लिखित तारीखों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जिसकी सूचना बोलीदाता(ओं) को प्रदान की जाएगी एवं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। इस एलटीई दस्तावेज़ के प्रत्युत्तर में बोलीदाता(ओं) द्वारा प्रदान की गई जानकारी ईसीजीसी की संपत्ति बन जाएगी तथा उसे

वापस नहीं किया जाएगा। ईसीजीसी इस एलटीई दस्तावेज़ एवं सभी अनुवर्ती संशोधनों (यदि कोई हो) को संशोधित करने, निरस्त करने अथवा पुनः जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संशोधन अथवा परिवर्तन ईसीजीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं आमंत्रित बोलीदाताओं को केवल ई-मेल के जरिए सूचित किए जाएंगे।

2. कार्यक्रम की अनुसूची: वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए ईसीजीसी लिमिटेड में नियुक्त बीमांकिक के कार्य की समीक्षा के लिए बाह्य सह समीक्षक के रूप में व्यक्तिगत/फर्म बीमांकिक की नियुक्ति से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण तारीखें निम्नानुसार हैं:

1	बोली प्रक्रिया आरंभ होने की तारीख (अर्थात ईसीजीसी लिमिटेड की वेबसाइट पर एल टी ई दस्तावेज़ को प्रदर्शित किए जाने की तारीख)	03-फरवरी-2025
2	बोलीदाताओं से स्पष्टीकरण हेतु मेल द्वारा प्रश्न प्राप्त करने की अंतिम तारीख	06-फरवरी-2025
3	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा प्रश्नों पर स्पष्टीकरण जारी करने की कटऑफ तारीख	11-फरवरी-2025
4	तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोली सहित बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	05-मार्च-2025
5	बोली खोलने की तारीख	06-मार्च-2025
6	बोली की वैधता अवधि	बोली जमा करने की अंतिम तारीख के पश्चात तीस दिन (30 दिन)। बोली मूल्य वित्तीय वर्ष 2025-26 की पियर समीक्षा की समाप्ति तक अपरवर्तित रहेगा।
7	एल टी ई दस्तावेज़ उपलब्धता	एल टी ई दस्तावेज़ ईसीजीसी की वैबसाइट पर प्रकाशित होंगे।

नोट: समय सीमा ईसीजीसी लिमिटेड के पूर्ण विवेकाधिकार पर परिवर्तन के अधीन है

संपर्क करने एवं बोली जमा करने का पता	बीमांकिक विभाग ईसीजीसी लिमिटेड, 3सरी मंजिल, ईसीजीसी भवन, सी टी एस नंबर 393, 393/1 से 45, एम वी रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400069
इस एल टी ई दस्तावेज़ से संबंधित सभी पत्राचार / प्रश्न केवल निम्नलिखित ई-मेल आईडी के जरिए होना चाहिए।	actuarialdepartment@ecgc.in
दूरभाष नंबर मोबाइल नंबर	022-66590544, 66590576 7710026063

भाग – 2

अस्वीकरण

इस एलटीई दस्तावेज में निहित जानकारी अथवा बाद में बोलीदाताओं को ईसीजीसी की ओर से दस्तावेजी रूप में प्रदान की गई जानकारी, बोलीदाताओं को इस एलटीई दस्तावेज में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों तथा अन्य सभी निबंधन एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है, जिसके अधीन ऐसी जानकारी प्रदान की जाती है एवं इसे इस एलटीई का भाग माना जाएगा।

यह एलटीई दस्तावेज कोई समझौता एवं कोई प्रस्ताव नहीं है, अपितु यह कंपनी द्वारा बोलीदाताओं को बोलियां प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया एक निमंत्रण मात्र है। एलटीई प्रक्रिया से किसी भी प्रकार का संविदात्मक दायित्व तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक ईसीजीसी एवं चयनित बोलीदाता के विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर एवं निष्पादन नहीं किया जाता है। ईसीजीसी किसी भी पक्ष के प्रति किसी भी दायित्व रहित परामर्शदाता की नियुक्ति से पूर्व किसी भी चरण में पूर्ण प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

इस एलटीई दस्तावेज़ का उद्देश्य उपर्युक्त बोलीदाताओं को उनकी बोलियां तैयार करने में सहायता के लिए जानकारी प्रदान करना है। यह एलटीई दस्तावेज़ यह दावा नहीं करता कि इसमें वह सम्पूर्ण जानकारी निहित है जिसकी प्रत्येक बोलीदाता को आवश्यकता हो सकती है। प्रत्येक बोलीदाता को इस एलटीई दस्तावेज की जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता एवं पूर्णता की जांच करने के लिए अपनी स्वयं की जांच एवं विश्लेषण करना चाहिए तथा जहां आवश्यक हो, स्वतंत्र सलाह/स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए। ईसीजीसी द्वारा स्वयं के पूर्ण विवेक से, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन हुए बिना, इस एलटीई में जानकारी को अद्यतन, संशोधित अथवा अनुपूरित किया जा सकता है।

ईसीजीसी किसी भी कानून, क़ानून, नियम अथवा विनियमन के अंतर्गत किसी भी बोलीदाता सहित किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई प्रतिनिधित्व अथवा वारंटी प्रदान नहीं करता है एवं किसी भी तरह की हानि, क्षति, लागत अथवा व्यय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो इस एलटीई में निहित किसी भी वस्तु के कारण अथवा अन्यथा उत्पन्न हो सकती है, जिसमें एलटीई की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, पूर्णता अथवा विश्वसनीयता एवं इसमें निहित कोई भी मूल्यांकन, धारणा, कथन अथवा जानकारी अथवा इस एलटीई का भाग बनने के

लिए अथवा बोलीदाताओं द्वारा इस बोली प्रक्रिया में प्रतिभागिता लेने के लिए किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाली जानकारी शामिल है।

यह माना जाएगा कि बोलीदाता द्वारा स्वयं की बोली प्रस्तुत करने की तारीख तक इस एलटीई में सभी अनुदेशों, प्रपत्रों, शर्तों एवं विनिर्देशों की जांच कर ली गई है। इस एलटीई के अंतर्गत आवश्यक सभी जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता अथवा सभी मामलों में गैर-प्रतिक्रियाशील बोली प्रस्तुत करना बोलीदाता के जोखिम पर होगा एवं इसके परिणामस्वरूप बोली नामंज़ूर हो सकती है।

यह एलटीई बिना किसी वित्तीय प्रतिबद्धता के जारी किया जा रहा है एवं ईसीजीसी इस एलटीई दस्तावेज के प्रतिउत्तर में प्राप्त किसी भी अथवा सभी बोलियों/प्रस्तावों को नामंज़ूर करने अथवा किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए एवं किसी भी पक्ष के प्रति किसी भी प्रकार की देयता रहित एलटीई को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में ईसीजीसी का निर्णय अंतिम, निर्णायक एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। इस सीमित निविदा पूछताछ दस्तावेज़ के प्रतिउत्तर में बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई जानकारी ईसीजीसी की संपत्ति बन जाएगी एवं उसे वापस नहीं किया जाएगा।

भाग – 3

3. बोलीदाताओं के लिए निर्देश

3.1. सामान्य निर्देश

3.1.1 बोली लगाने से पूर्व, बोलीदाता(ओं) से अनुरोध है कि वे ईसीजीसी की वेबसाइट https://www.ecgc.in पर जाएं एवं अनुलग्नक-9 के अंतर्गत प्रदान किए गए मसौदा समझौते एवं उसमें निहित अनुबंध की सामान्य शर्तों (टीसीसी) सहित संपूर्ण एलटीई दस्तावेज की सावधानीपूर्वक जांच करें, एवं यदि एलटीई दस्तावेज तथा अनुबंध की किसी भी शर्त के मध्य कोई अस्पष्टता अथवा विसंगति प्रतीत होती है, तो उन्हें तुरंत स्पष्टीकरण के लिए मामले को ईसीजीसी को भेजना चाहिए।

3.1.2 यद्यपि यह दस्तावेज सद्भावनापूर्वक तैयार किया गया है, फिर भी न तो ईसीजीसी एवं न ही इसका कोई कार्मिक किसी भी व्यक्ति, जिसमें किसी कानून, अधिनियम, नियम अथवा विनियम के अंतर्गत कोई आवेदन अथवा बोलीदाता शामिल है, के प्रति कोई प्रतिनिधित्व अथवा वारंटी प्रदान करता है अथवा कोई दायित्व नहीं रखता है, जो इस एलटीई में निहित किसी भी वस्तु के कारण अथवा अन्यथा उत्पन्न होने वाली किसी हानि, क्षति, लागत अथवा व्यय के लिए हो, जिसमें एलटीई की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, पूर्णता अथवा विश्वसनीयता एवं इसमें निहित कोई मूल्यांकन, धारणा, कथन अथवा सूचना अथवा इस एलटीई का अंश मानी जाने वाली जानकारी अथवा इस बोली में भागीदारी के लिए किसी भी प्रकार से उत्पन्न होने वाली जानकारी शामिल है।

3.1.3 बोली लगाने के प्रयोजन के लिए बोलीदाता को एलटीई दस्तावेज के साथ संलग्न प्रपत्र को सभी प्रकार से पूर्ण करना होगा, लागत उद्धृत करनी होंगी तथा उसमें मांगी गई सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, तथा प्रत्येक प्रपत्र/दस्तावेज पर उस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए स्थान पर हस्ताक्षर करने होंगे तथा तारीख का उल्लेख करना होगा। बोलीदाता को बोली दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे।

3.1.4 बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोली दस्तावेज सुपाठ्य होने चाहिए तथा अमिट स्याही से टाइप अथवा लिखे होने चाहिए, तथा बोलीदाता द्वारा विधिवत् प्राधिकृत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए तथा उनके हस्ताक्षर विधिवत् प्रमाणित होने चाहिए। निगमित निकाय के मामले में, बोली पर निगमित निकाय द्वारा विधिवत् प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उस पर सामान्य मुहर भी लगाई जाएगी।

3.1.5 बोली में बोलीदाता का पता, दूरभाष संख्या/मोबाइल संख्या एवं ई-मेल आईडी (यदि कोई हो) शामिल होगी, जिससे बोली के संबंध में बोलीदाता को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सूचनाएं प्रदान की जा सकें।

3.1.6 बोली प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेज एक दूसरे से अलग नहीं किए जाएंगे तथा उसके साथ संलग्न किसी भी प्रपत्र अथवा दस्तावेज में कोई परिवर्तन अथवा विकृति (सभी रिक्त स्थानों को भरने के अतिरिक्त) नहीं की जाएगी। संलग्न दस्तावेजों में प्रविष्टियों में कोई भी परिवर्तन अथवा बदलाव केवल एक अलग कवरिंग पत्र द्वारा किया जाएगा, अन्यथा बोली प्रक्रिया के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.1.7 बोलीदाता, बोली प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के बावजूद, दस्तावेजों के विवरण को विशेषाधिकार प्राप्त, गुप्त एवं गोपनीय मानेगा।

3.1.8 बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी बोली को दर्शाने के लिए कोई कटिंग, ओवर-राइटिंग, तथा अस्पष्ट अथवा अपठनीय आंकड़े शामिल नहीं हों। ऐसी सभी बोलियां केवल इसी आधार पर अयोग्य घोषित की जा सकती हैं। बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि बोली में कोई अस्पष्ट अथवा अपरिमेय लागत/राशि शामिल नहीं हो, जो बोली को अयोग्य ठहराए।

3.1.9 प्रत्येक बोलीदाता को केवल एक बोली प्रस्तुत करनी होगी।

3.1.10 बोलीदाता को अनुबंध की पूर्ण अवधि के दौरान, सहमत लागत तथा निबंधन एवं शर्तों पर ईसीजीसी द्वारा वांछित संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा।

3.1.11 आंशिक बोलियां मंजरू नहीं की जाएंगी तथा नामंज़ूर मानी जाएंगी। बोलीदाता(ओं) को सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र के लिए बोली लगानी होगी।

3.1.12 सभी दरें एवं कुल राशि अंकों तथा शब्दों दोनों में लिखी जानी चाहिए एवं यदि दोनों के मध्य कोई विसंगति पाई जाती है, तो बोली को नामंज़ूर कर दिया जाएगा।

3.1.13 अनुलग्नकों में कोई भी प्रश्न अथवा मद रिक्त अथवा अनुत्तरित नहीं रखा जाएगा। यदि चयनित बोलीदाता(ओं) के पास कोई विवरण अथवा उत्तर उपलब्ध कराने के लिए नहीं है, तो उपयुक्त रूप से 'नहीं' अथवा 'शून्य' अथवा 'लागू नहीं' अथवा 'एन/ए' कथन का उल्लेख किया जाएगा। रिक्त कॉलम वाले अथवा बिना हस्ताक्षर वाले फॉर्म को तुरंत नामंज़ूर कर दिया जाएगा।

3.1.14 एलटीई दस्तावेज़ की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होने वाली बोलियों पर ईसीजीसी द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, ईसीजीसी किसी भी समय एलटीई की किसी भी आवश्यकता को छुट प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.1.15 बोलियां ईसीजीसी द्वारा निर्दिष्ट पते पर, बोली आमंत्रण में "कार्यक्रमों की अनुसूची" में निर्दिष्ट तारीख एवं समय से पूर्व प्राप्त की जानी चाहिए।

3.1.16 ईसीजीसी डाक में देरी अथवा छुट्टियों सहित किसी भी कारण से निर्दिष्ट तारीख के अधीन बोलियों के प्राप्त नहीं होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3.1.17 बोलियां प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त किसी भी बोली को नामंज़ूर कर दिया जाएगा तथा तद्पश्चात नष्ट कर दिया जाएगा। कोई भी बोली वापस नहीं की जाएगी।

3.1.18 ईसीजीसी द्वारा स्वयं के विवेकानुसार, बोली दस्तावेज में उचित निबंधन एवं शर्तों में संशोधन करके बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा में वृद्धि की जा सकती है, ऐसी स्थिति में, ईसीजीसी एवं बोलीदाताओं के सभी अधिकार तथा दायित्व जो पूर्व समय सीमा के अधीन थे, उसके पश्चात विस्तारित समय सीमा के अधीन होंगे, जिसके विषय में सभी इच्छुक बोलीदाताओं को ईसीजीसी की वेबसाइट पर भी सूचित किया जाएगा।

3.1.19 ईसीजीसी बोली सूचना की वैधता एवं प्रामाणिकता को सत्यापित करने तथा किसी भी बोली को जहां विषय वस्तु/सूचना आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से गलत पाई जाती है, एलटीई की बोली प्रक्रिया के दौरान अथवा अनुबंध के प्रदान किए जाने के पश्चात भी नामंज़ूर करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.1.20 सभी अवांछित बोलियां नामंज़ूर कर दी जाएंगी।

3.1.21 एक बार प्रस्तुत की गई बोलियों को संशोधित अथवा परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

3.1.22 बोलीदाता को स्वयं की बोली की तैयारी अथवा प्रस्तुति से संबंधित सभी लागतों को वहन करना होगा, तथा बोली प्रक्रिया के संचालन अथवा परिणाम के बावजूद ईसीजीसी किसी भी स्थिति में इन लागतों के लिए जिम्मेदार अथवा उत्तरदायी नहीं होगा।

3.2. कार्यक्षेत्र

ईसीजीसी एक ऐसे बीमांकिक की सेवाएं प्राप्त किए जाने हेतु इच्छुक है, जो भारतीय बीमांकिक संस्थान (आईएआई) का फेलो सदस्य हो, जिसके द्वारा आईएआई द्वारा जारी बीमांकिक मानक प्रथा 33 के अनुसार बाह्य सहसमीक्षा का कार्य किया जा सके। अनुबंधित पक्ष को दो वित्तीय वर्षों **2024-25 एवं 2025-26** के लिए सह समीक्षा करनी होगी।

<u>कार्य क्षेत्र व्यापक रूप से निम्नलिखित को कवर करेगा:</u>

सह समीक्षा में वार्षिक वैधानिक बीमांकिक मूल्यांकन से संबंधित बीमांकिक कार्य के सभी प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। निम्नलिखित गैर-संपूर्ण सूची में कुछ ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जो सह समीक्षा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में की जा सकती हैं:

i. डेटा पर लागू जांच की तर्कसंगतता की समीक्षा करना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह कार्य किए जाने के लिए पर्याप्त एवं विश्वसनीय है (डेटा सटीकता जांच)।
ii. गणनाओं पर लागू जाँच की तर्कसंगतता की समीक्षा करना।
iii. कार्य के आधारभूत कार्यप्रणाली एवं मान्यताओं की समीक्षा।
iv. परिणामों की तर्कसंगतता की समीक्षा।
v. इस बात की समीक्षा कि कार्य किस सीमा तक - आईएआई द्वारा व्यावसायिक आचरण मानकों, बीमांकिक व्यवसाय मानकों एवं अन्य लागू विनियामक एवं/अथवा विधिक आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है।
vi. कार्य के साथ जुड़ी संचार की स्पष्टता एवं/अथवा गुणवत्ता की समीक्षा; एवं/अथवा
vii. इस बात की समीक्षा कि कार्य किस सीमा तक कार्य के उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं एवं उचित अपेक्षाओं के लिए उपयुक्त है अथवा उन आउटपुट के उपयोगकर्ता के लिए जो इसे उत्पन्न करते हैं।

प्रदेय:

<u>सहसमीक्षा रिपोर्ट</u>

सहसमीक्षक द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट एक लिखित रिपोर्ट के रूप में होगी, जिसमें किए गए कार्य का सारांश होगा तथा प्रयुक्त डेटा, अपनाई गई कार्यप्रणाली, की गई धारणाएं, मूल्यांकन के परिणाम तथा सह समीक्षक की राय स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी। सहसमीक्षक की रिपोर्ट में निम्नलिखित खंड शामिल होंगे:

i. परिचय
ii. वक्तव्य
iii. डेटा संग्रह एवं सत्यापन
iv. कार्यप्रणाली
v. अनुमान
vi. परिणाम की जांच करना
vii. सीमाएँ

viii. सह समीक्षक की स्वतंत्रता की घोषणा

ix. कंपनी के साथ पूर्व संबंधों का प्रकटीकरण।

x. चर्चा, फीडबैक एवं अंतिम रूप देना।

सह समीक्षक की रिपोर्ट नियुक्त बीमांकिक को संबोधित की जानी चाहिए।

समय सीमा:

सह समीक्षक को अपेक्षित डेटा/रिपोर्ट/गणना प्राप्त करने के पश्चात 30 दिनों के अधीन, ईसीजीसी की पूर्ण संतुष्टि के साथ, सभी पहलुओं में कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करना आवश्यक है।

3.3. प्रश्न

इस एलटीई दस्तावेज अथवा चयन प्रक्रिया के किसी भी खंड के संबंध में किसी भी संदेह/प्रश्न/चिंता वाले बोलीदाता को बोली आमंत्रण में "कार्यक्रमों की अनुसूची" में निर्दिष्ट निर्धारित समय-सीमा के अधीन एवं इस एलटीई दस्तावेज के अनुलग्नक-7 में प्रदान किए गए प्रारूप में स्वयं का वक्तव्य व्यक्त करना होगा। ईसीजीसी निर्धारित समय-सीमा के अतिरिक्त किसी भी संदेह/चिंता के संबंध में कोई स्पष्टीकरण मंजूर करने अथवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

सभी प्रश्नों का उत्तर केवल इस एलटीई की धारा 1.2 में उल्लिखित ई-मेल आईडी के जरिए ही दिया जाएगा। ईसीजीसी इस एलटीई के संबंध में ई-मेल/वेबसाइट के जरिए लिखित रूप में स्पष्टीकरण/संशोधन जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं यह इस एलटीई का भाग बन जाएगा। बोलीदाता का यह दायित्व होगा कि वह अपनी बोली को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पूर्व वांछित स्पष्टीकरणों तथा उसके पश्चात किए गए संशोधनों के संबंध में ईमेल/वेबसाइट की जांच करें।

3.4. बोलियों की तैयारी एवं प्रस्तुति

3.5.1. बोली की भाषा

बोलीदाता द्वारा तैयार की गई बोली, साथ ही बोलीदाता एवं कंपनी के मध्य बोली से संबंधित आदान-प्रदान किए गए सभी पत्राचार एवं दस्तावेज तथा सहायक दस्तावेज एवं मुद्रित साहित्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाएंगे।

3.5.2. बोली प्रक्रिया एवं दस्तावेज़

3.5.2.1. इच्छुक पात्र बोलीदाताओं को अपना प्रस्ताव दो सीलबंद नॉन-विंडो लिफाफों में प्रस्तुत करना चाहिए, जिन पर **'वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए ईसीजीसी लिमिटेड में नियुक्त बीमांकिक के कार्य की समीक्षा के लिए बाह्य सह समीक्षक के रूप में व्यक्तिगत/फर्म बीमांकिक की नियुक्ति – तकनीकी बोली' एवं 'वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए ईसीजीसी लिमिटेड में नियुक्त बीमांकिक के कार्य की समीक्षा के लिए बाह्य सह समीक्षक के रूप में व्यक्तिगत/फर्म बीमांकिक की नियुक्ति – वाणिज्यिक बोली'** लिखा होना चाहिए। दो लिफाफों में से एक लिफाफे में तकनीकी बोली तथा दूसरे में वाणिज्यिक बोली होनी चाहिए। कृपया नोट करें कि यदि पात्रता एवं वाणिज्यिक बोलियां दोनों एक ही लिफाफे में रखी जाती हैं तो बोलियों पर मूल्यांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

3.5.2.2. बोली पर बोलीदाता अथवा बोलीदाता द्वारा विधिवत् प्राधिकृत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। लिफाफा कार्यक्रम अनुसूची में प्रदान किए गए पते पर ईसीजीसी को संबोधित किया जाना चाहिए। लिफाफों में निम्नलिखित क्रम में एक लिफाफे में पूर्ण रूप से भरे हुए दस्तावेज होने चाहिए:

लिफाफा – 1 (तकनीकी बोली)

(i) अनुलग्नक – 2: तकनीकी बोली;

(ii) अनुलग्नक – 4: पावती;

(iii) अनुलग्नक – 6: अतीत में इसी प्रकार के कार्यों का विवरण

(iv) अनुलग्नक – 8: घोषणा;

(v) अनुलग्नक – 10: सत्यनिष्ठा संहिता;

लिफाफा -2 (व्यावसायिक बोली)

(i) अनुलग्नक – 5: वाणिज्यिक बोली;

(ii) अनुलग्नक – 3: बैंक विवरण।

3.5.2.3. सभी लिफाफों के कवर पर बोलीदाता का नाम एवं पता अंकित होना चाहिए।

3.5.2.4. यदि लिफाफा सीलबंद एवं चिह्नित/उपरलिखित नहीं है, तो ईसीजीसी बोली के गुम हो जाने अथवा समय से पूर्व खुल जाने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

3.5.2.5. तकनीकी बोली में कोई भी मूल्य संबंधी जानकारी नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी बोली प्राप्त होती है तो उसे नामंज़ूर कर दिया जाएगा।

3.5.2.6. बोलीदाता द्वारा कोई भी निर्दिष्ट/सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर बोली नामंज़ूर कर दी जाएगी। ईसीजीसी बोलीदाता से अतिरिक्त/वैकल्पिक दस्तावेज मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.5.2.7. उपरोक्त दस्तावेजों की सूची के अनुरूप नहीं होने वाली कोई भी तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोली नामंज़ूर कर दी जाएगी।

3.5.2.8. बोलीदाता अतिरिक्त जानकारी शामिल कर सकता है जिसे वह बोली प्रतिक्रिया को बेहतर तरीके से समझने के लिए आवश्यक समझता है। इसमें आरेख, मैनुअल के अंश अथवा अन्य व्याख्यात्मक दस्तावेज शामिल हो सकते हैं, जो बोली को स्पष्ट एवं/अथवा पुष्ट करेंगे। यह बोलीदाता यहां शामिल सामग्री प्रदान कर सकता है जिसका बोली में अन्यत्र विशेष रूप से संदर्भ दिया जाना चाहिए।

3.5.3. बोली लागत

i. लागत अनुलग्नक-5 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार केवल भारतीय रुपए में उद्धृत की जानी हैं।

ii. उद्धृत मूल्य में सभी केन्द्रीय/राज्य सरकार के शुल्क, कर (जीएसटी सहित) शामिल नहीं होने चाहिए तथा बोलीदाता द्वारा किए गए अन्य सभी प्रासंगिक व्यय शामिल होने चाहिए। यह एनआईटी किया जाना चाहिए कि ईसीजीसी सहमत पेशेवर शुल्क एवं लागू करों को छोड़कर किसी भी अन्य राशि एवं यात्रा तथा आवास आदि जैसे अन्य व्ययों का भुगतान नहीं करेगा।

iii. बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य, यदि चयनित हो तो, बोलीदाता के अनुबंध के निष्पादन के दौरान स्थिर रहेंगे तथा अनुबंध की वैधता अवधि के दौरान विनिमय दर में उतार-चढ़ाव सहित किसी भी कारण से परिवर्तन के अधीन नहीं होंगे। केन्द्र अथवा राज्य सरकारों, अथवा सांविधिक, अर्ध-सरकारी निकायों, अथवा नियामकों द्वारा लगाए गए कर/शुल्क/लेवी/उपकर आदि वास्तविक के अनुसार वसूले जा सकते हैं, तथा इनमें परिवर्तन की अनुमति है। यहां निर्दिष्ट अपवादों के अतिरिक्त, समायोज्य मूल्य उद्धरण के साथ प्रस्तुत बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा एवं उसे नामंज़ूर कर दिया जाएगा।

iv. बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बोलियों एवं वाणिज्यिक बोलियों के मध्य कोई विरोधाभास नहीं पाया जाएगा। यदि ऐसा पाया गया तो ऐसी बोलियां नामंज़ूर कर दी जाएंगी।

3.6. बोलियों की वैधता अवधि

i. बोलियां खुलने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेंगी। उद्धृत मूल्य अनुबंध की अवधि के दौरान चयनित बोलियों पर स्थिर एवं बाध्यकारी रहेंगे, जब तक कि कंपनी द्वारा अन्यथा सहमति प्रदान नहीं की जाए।

ii. असाधारण परिस्थितियों में, कंपनी द्वारा समान निबंधन एवं शर्तों पर बोली की वैधता की अवधि में वृद्धि करने के लिए बोलीदाता की सहमति प्राप्त की जा सकती है। अनुरोध एवं उसके उत्तर लिखित रूप में दिए जाएंगे। इस बिंदु पर, बोलीदाता भविष्य में किसी भी एलटीई से बहिष्कृत होने अथवा किसी भी प्रकार के प्रतिबंध के जोखिम के बिना अनुरोध को नामंज़ूर कर सकता है।

iii. यदि आवश्यक समझा जाए तो कंपनी बोली की वैधता अवधि के दौरान किसी भी समय नए कोटेशन आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

3.7. बोलियों में संशोधन एवं वापसी

बोलियों में संशोधन एवं/अथवा वापसी की अनुमति नहीं है।

3.8. बोलियों का खोलना एवं उनका मूल्यांकन

3.8.1. कंपनी द्वारा बोलियां खोलना

कंपनी को सभी बोलीदाताओं से बोलियां प्राप्त होने के तुरंत बाद, ऊपर निर्दिष्ट अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा किए बिना, उन्हें खोलने का अधिकार है, तथा साथ ही कंपनी को बोलियों को नामंज़ूर करने एवं/अथवा किसी भी अथवा सभी बोलीदाताओं को, जैसा भी मामला हो, अथवा सभी अथवा कुछ प्रतिक्रिया पत्रों पर उनके जवाबों के अनुसार, अथवा यहां तक कि उनके किसी भाग पर, अथवा उनकी कमी के अनुसार, बिना कोई कारण बताए, अयोग्य घोषित करने का अधिकार भी है।

3.10.2. प्रारंभिक मूल्यांकन

i. कंपनी बोलियों की प्रारंभिक जांच करेगी जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वे पूर्ण हैं, क्या अपेक्षित प्रारूप प्रस्तुत किए गए हैं, क्या दस्तावेजों पर उचित हस्ताक्षर किए गए हैं, क्या बोली प्रत्युत्तरात्मक है, अर्थात, प्रस्तुत की गई बोली एलटीई दस्तावेज की सभी निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप है एवं बोलियां सामान्य रूप से क्रम में हैं। गैर-उत्तरदायी बोलियों को यथाशीघ्र खारिज कर दिया जाएगा तथा गैर-अनुरूपता में सुधार करके उन्हें उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकेगा।

3.10.3. तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन

i. केवल प्रतिक्रियाशील पाई गई बोलियों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन दो भागों में होगा। पहला तकनीकी मूल्यांकन होगा। दूसरा वाणिज्यिक मूल्यांकन होगा। बोलियों के मूल्यांकन एवं तुलना के दौरान, कंपनी द्वारा स्वयं के विवेक से बोलीदाताओं से उनकी बोली के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है अथवा अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। स्पष्टीकरण का अनुरोध लिखित रूप में किया जाएगा तथा बोली की कीमत अथवा सारांश में कोई परिवर्तन नहीं प्राप्त किया जाएगा, प्रस्तावित नहीं किया जाएगा अथवा अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। बोलीदाता की पहल पर बोली के पश्चात कोई स्पष्टीकरण मंजूर नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं से निर्धारित समय के अधीन उत्तर देने/सूचना/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा नहीं करने पर बोलीदाता को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

3.10.4. मूल्य बोलियों का मूल्यांकन एवं अंतिम रूप देना

i. तकनीकी बोली के मूल्यांकन में पात्र पाए जाने वाले बोलीदाताओं को आगे के मूल्यांकन के लिए पात्र माना जाएगा तथा इन बोलीदाताओं के लिए वाणिज्यिक बोलियां खोली जाएंगी।

ii. मूल्यांकन तकनीकी बोली एवं वाणिज्यिक बोली में प्राप्त संयुक्त अंकों के अनुसार किया जाएगा।

iii. कंपनी द्वारा स्वयं के पूर्ण विवेक से किसी बोली में किसी छोटी-मोटी कमी अथवा गैर-अनुरूपता अथवा अनियमितता को छुट प्रदान किया जा सकता है, जो कि कोई भौतिक विचलन नहीं है, बशर्ते कि ऐसी छूट से किसी बोलीदाता की सापेक्ष रैंकिंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े अथवा उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

3.10.5. कंपनी से संपर्क करना

i. कोई भी बोलीदाता बोली खुलने के समय से लेकर अनुबंध को अंतिम रूप दिए जाने एवं प्रदान किए जाने तक, अपनी बोली से संबंधित किसी भी मामले पर कंपनी से संपर्क नहीं करेगा।

ii. बोली मूल्यांकन, बोली तुलना अथवा अनुबंध पुरस्कार पर कंपनी के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए बोलीदाता द्वारा किए गए किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप बोलीदाता की बोली को नामंज़ूर किया जा सकता है एवं ईसीजीसी के साथ किसी भी भविष्य के एलटीई / अनुबंध / व्यवसाय पर रोक लगाई जा सकती है।

3.10.6. अनुबंध प्रदान किया जाना

सफल बोलीदाता को ईसीजीसी द्वारा लिखित रूप में, पत्र द्वारा अथवा ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा कि उसकी बोली मंजूर कर ली गई है। ईसीजीसी का निर्णय अंतिम, निर्णायक एवं बोली प्रक्रिया से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी बोलीदाताओं/पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

प्रदान किए जाने की अधिसूचना से अनुबंध के प्रस्ताव का गठन होगा। चयनित बोलीदाता को, संविदा प्रदान किए जाने की मंजूरी, पत्र की हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी प्रतिलिपि, सूचना प्राप्ति के सात कार्य दिवसों के अधीन लौटाकर देनी चाहिए। यदि चयनित बोलीदाता किसी भी कारण से अनुबंध करने में असफल रहता है, तो ईसीजीसी द्वारा अगले योग्य बोलीदाता को अनुबंध की प्रस्तुति की जाएगी।

चयनित बोलीदाता को मंजूरी की सूचना देने के 5 (पांच) कार्य दिवसों के अधीन अनुबंध अर्थात सेवा अनुबंध निष्पादित करना एवं 'कार्य क्षेत्र' के अनुसार कार्य प्रारंभ किया जाना अपेक्षित है। सेवा अनुबंध का प्रारूप संलग्न है तथा अनुलग्नक-9 के रूप में अंकित है। ईसीजीसी को उक्त मसौदा समझौते के निष्पादन से पूर्व इसमें निर्धारित सभी अथवा किसी भी निबंधन एवं शर्तें को बदलने/पृथक करने/संशोधित करने/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित है।

भाग – 4

अनुलग्नक

अनुलग्नक – 1

पात्रता मापदंड

बोलीदाताओं को एपीएस 33 के सभी मानदंडों/आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा।

I. बोलीदाता बीमाकर्ता से स्वतंत्र एवं बाह्य होता है।
II. बोलीदाता के पास उचित वैध व्यवसाय प्रमाणपत्र होना चाहिए।
III. बोलीदाता आईएआई का फेलो सदस्य होगा एवं बीमांकिक मानक प्रथा 33 की शर्तों के अनुसार बाह्य सह समीक्षा का कार्य करेगा।
IV. बोलीदाता का कोई हितों का टकराव नहीं होगा।
V. बोलीदाता द्वारा व्यावसायिक आचरण का कोई उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।
VI. बोलीदाता द्वारा पूर्व में प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के किसी भी मानदंड/विनियम का उल्लंघन नहीं किया गया हो।
VII. उन बोलीदाताओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास निर्यात ऋण जोखिम बीमा का अनुभव है।

बोलीदाता को ऊपर उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा तथा एपीएस-33 के अनुरूप होना होगा।

अनुलग्नक – 2

बोलीदाता का प्रोफ़ाइल / पात्रता / तकनीकी बोली

क्र. सं.	विवरण	
1	○ सह समीक्षक का नाम: ○ क्या फर्म साझेदारी/ स्वामित्व/ व्यक्तिगत है: ○ किसी फर्म के मामले में: ○ फर्म का नाम: ○ पंजीकरण की तारीख ○ फर्म का पंजीकृत पता: ○ फर्म का संपर्क नं.: ○ फर्म का ई-मेल आईडी ○ सह समीक्षक का पदनाम ○ सह समीक्षक का प्रोफ़ाइल: ○ पता ○ लैंडलाइन नंबर, यदि कोई हो ○ मोबाइल नं. ○ ई-मेल आईडी ○ योग्यता ○ अनुभव (कृपया निर्दिष्ट करें और दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें): ▪ कुल मिलाकर (वर्षों की संख्या): • जीवन बीमा: • गैर-जीवन बीमा: • निर्यात ऋण बीमा: ▪ फेलोशिप के पश्चात (वर्षों की संख्या): • जीवन बीमा: • गैर-जीवन बीमा: ▪ सह समीक्षक के रूप में (सह समीक्षाओं की संख्या):	

	• जीवन बीमा: • गैर-जीवन बीमा: • निर्यात ऋण बीमा: ○ बीमांकिक के रूप में अभ्यास प्रारंभ करने की तारीख ○ आईएआई का फेलो बनने का वर्ष ○ अभ्यास प्रमाण पत्र (सीओपी) संख्या / पंजीकरण संख्या एवं इसकी वैधता। ○ वर्तमान में धारित पद (कार्मिक अथवा परामर्शदाता अथवा अन्य के रूप में) तथा संगठन आदि का विवरण, जैसा लागू हो। ○ इस बात की पुष्टि कि उनके विरुद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई तथा वर्तमान में कोई मामला लंबित नहीं है अथवा लागू मामलों का ब्यौरा आदि। (कृपया दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)	
3	मुंबई में कार्यालय का विवरण ○ पता: ○ दूरभाष नं.: • लैंडलाइन: • मोबाइल: ○ फैक्स नं., यदि कोई हो: ○ ई-मेल: ○ वेबसाइट (यदि कोई हो):	
4	भारत एवं विदेश में अन्य शाखाओं का विवरण	
5	मूल्यांकन कार्य के संचालन के लिए कार्य योजना एवं इसके कार्यान्वयन की कार्यप्रणाली। (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें)	
6	○ अभ्यास प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति। ○ फर्म का पैन (कृपया दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें) ○ फर्म का जीएसटी पंजीकरण नंबर (कृपया दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)	

7	**बोलीदाता को निम्नलिखित का प्रकटीकरण करना होगा:** ○ ईसीजीसी लिमिटेड के लिए बोलीदाता द्वारा सह समीक्षक के रूप में किए गए सभी पिछले वार्षिक वैधानिक बीमांकिक मूल्यांकनों का प्रकटीकरण करें ○ ईसीजीसी लिमिटेड के साथ किसी भी व्यावसायिक संबंध का प्रकटीकरण करना ○ यदि बोलीदाता ईसीजीसी लिमिटेड का सेवानिवृत्त कार्मिक है तो इसका प्रकटीकरण करें ○ यह बताएं कि क्या बोलीदाता ई.सी.जी.सी. लिमिटेड अथवा इसकी किसी समूह कंपनी के लिए परामर्शदाता, सलाहकार अथवा कार्मिक के रूप में कार्य कर रहा है।	
8	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी (यदि आवश्यक हो तो कृपया अलग शीट संलग्न करें।)	

.....

सह समीक्षक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(सह समीक्षक मुहर)

नाम :

पदनाम :

संपर्क नं. (मोबाइल) :

ई-मेल आईडी :

बोलीदाता का बैंक विवरण

क्र सं	Description	Details
1	बैंक का नाम	
2	बैंक का पता	
3	बैंक शाखा आईएफ़एससी कोड	
4	खाता नाम एवं संख्या	
5	खाते का प्रकार	

.....

सह समीक्षक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(सह समीक्षक मुहर)

नाम :

पदनाम :

संपर्क नं (मोबाइल)

ई-मेल आईडी

<u>पावती</u>

(बोलीदाता के पत्र शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है)

दिनांक:

सेवा में,
बीमांकिक विभाग,
ईसीजीसी लिमिटेड, तीसरी मंजिल, ईसीजीसी भवन,
सीटीएस नंबर 393, 393/1 से 45,
एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई-400069

महोदय/महोदया,

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए ईसीजीसी लिमिटेड में नियुक्त बीमांकिक के कार्य की समीक्षा के लिए बाह्य सह समीक्षक के रूप में व्यक्तिगत/फर्म बीमांकिक की नियुक्ति के लिए सीमित निविदा पूछताछ का उत्तर

1. अनुलग्नकों सहित सीमित निविदा जांच दस्तावेज की जांच करने के पश्चात, जिसकी प्राप्ति विधिवत मंजूर की जाती है, हम, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, बोली में उल्लेखित लागत के अधीन एलटीई दस्तावेज में बताए गए कार्य के दायरे के अनुसार सेवाएं प्रदान करने की प्रस्तुति करते हैं।

2. यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है, तो हम इस एलटीई दस्तावेज़ के सभी निबंधन एवं शर्तों का पालन करने का वचन देते हैं।

3. हम प्रमाणित करते हैं कि हमने ईसीजीसी द्वारा मांगी गई सभी जानकारी अनुरोधित प्रारूप में उपलब्ध करा दी है। हम यह भी समझते हैं कि यदि ईसीजीसी को लगता है कि अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है अथवा किसी भिन्न प्रारूप में उपलब्ध कराई गई है जो मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है अथवा आवश्यक पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है अथवा किसी अन्य कारण से जिसे वह उचित समझे तो ईसीजीसी को इस बोली को नामंज़ूर करने का अधिकार है। ईसीजीसी का निर्णय अंतिम होगा एवं हमारे लिए बाध्यकारी होगा।

4. हम सहमत हैं कि ईसीजीसी एलटीई प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय इस एलटीई दस्तावेज़ एवं सभी संशोधनों को संशोधित, निरस्त अथवा पुनः जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. हम सहमत हैं कि हमें इस एलटीई दस्तावेज़ में दिए गए किसी भी खंड, निबंधन एवं शर्तों एवं बोली प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं है।

.....

सह समीक्षक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(सह समीक्षक मुहर)

नाम :

पदनाम :

संपर्क नं (मोबाइल) :

ई-मेल आईडी :

अनुलग्नक – 5

वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए ईसीजीसी लिमिटेड में नियुक्त बीमांकिक के कार्य की समीक्षा के लिए बाह्य सह समीक्षक के रूप में व्यक्तिगत/फर्म बीमांकिक की नियुक्ति हेतु वाणिज्यिक बोली

(उपरोक्तानुसार **दूसरे सीलबंद लिफाफे** में प्रस्तुत किया जाए)

हम प्रस्तावित कार्य के लिए अपनी वाणिज्यिक बोली (शुल्क) निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं

क्रम संख्या	**विवरण**	**कुल शुल्क (रुपये में) (कर के अतिरिक्त)**
1.	वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के नियुक्त बीमांकिक के कार्य की सह समीक्षा। सहसमीक्षा की सीमा आईएआई द्वारा जारी एपीएस 33 के अनुरूप है।	

कुल राशि शब्दों में: रुपए _____मात्र।

निबंधन एवं शर्तें :

क. शुल्क का भुगतान केवल भारतीय रुपए में किया जाएगा।

ख. **प्रथम भाग, अर्थात दो वर्षों, 2024-25 और 2025-26 के लिए कुल शुल्क का 50%, का भुगतान वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सह समीक्षा के सफल समापन के उपरांत किए गए कार्यों के विषय में ईसीजीसी के संतोष के आधार पर किया जाएगा।**

ग. **शुल्क का शेष हिस्से का वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सह समीक्षा कार्य के सफल समापन के उपरांत ईसीजीसी की संतोष के आधार पर भुगतान किया जाएगा।**

घ. वाणिज्यिक बोली में चयनित बोलीदाता द्वारा उद्धृत शुल्क के अलावा कोई अतिरिक्त भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा। चयनित बोलीदाता द्वारा उद्धृत कार्य के लिए **शुल्क में सभी व्यय**/लागत/विविध व्यय शामिल होने चाहिए, यदि कोई हो, **लेकिन सभी लागू करों को छोड़कर, जिनका भुगतान ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा वास्तविक रूप से किया जाएगा। ईसीजीसी लिमिटेड** भारतीय कराधान नियमों के अनुसार भुगतान करते समय लागू टीडीएस कटौती करने का अधिकारी होगा।

ङ. फर्म द्वारा आवास, यात्रा, भोजन आदि के संबंध में किए गए किसी भी अतिरिक्त व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा।

च. **ईसीजीसी लिमिटेड** सफल बोलीदाता से अपर्याप्त/असंतोषजनक कार्य या एलटीई के अंतर्गत बोलीदाता द्वारा जो कार्य किया जाना था उसे न करने या कार्य के अनुत्तरदायी निष्पादन के

कारण किसी भी आनुपातिक राशि की कटौती का अधिकार सुरक्षित रखता है।

छ. उद्धृत दर आगामी अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि के लिए वैध है। इस अनुबंध के लिए भुगतान के संदर्भ में कोई अभिवृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

ज. भुगतान अनुबंध की उन शर्तों के अनुसार किया जाएगा, जो यहां संलग्न है तथा अनुलग्नक-9 में अंकित है।

झ. आगामी अनुबंध के निष्पादन के लिए नियत समय में कोई आकस्मिक व्यय का भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा।

ञ. अनुबंध प्रदान किए जाने पर कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

सह समीक्षक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

संपर्क (मोबाइल):

ईमेल आईडी:

सह समीक्षक की मुहर

अनुलग्नक – 6

पूर्व में किए गए समान कार्यों का विवरण

परियोजना के लिए नियुक्त किए जाने वाले सह समीक्षक का विवरण

1. सह समीक्षक का नाम
2. ई-मेल आईडी
3. फोन (कार्यालय)
4. मोबाइल
5. तिथि जब से आप फर्म में कार्यरत हैं
6. व्यावसायिक योग्यताएं

7. अनुभव

क्रम संख्या	पूर्व में किए गए समान कार्यों का विवरण	भारत/विदेश में की गई सेवाओं का संक्षिप्त विवरण तथा वह संगठन जहां कार्यभार ग्रहण किया गया	अवधि:------ से--------तक	समापन की तिथि
01				
02				
03				
04				

सह समीक्षक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

संपर्क (मोबाइल):

ईमेल आईडी:

सह समीक्षक की मुहर:

अनुलग्नक – 7

प्रश्न का प्रारूप

क्रम संख्या	बोलीदाता का नाम	पृष्ठ संख्या (एलटीई संदर्भ)	खंड (एलटीई संदर्भ)	एलटीई में विवरण (एलटीई संदर्भ)	प्रश्न
1					
2					

नोट: प्रश्न केवल प्रदान किए गए ई-मेल आईडी actuarialdepartment@ecgc.in के माध्यम से ही प्रेषित किए जा सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर ईसीजीसी वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे या संबंधित बोलीदाता को ईमेल किए जाएंगे। टेलीफोन/मोबाइल या ई-मेल के माध्यम से लिखित रूप में भेजे गए प्रश्नों के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से कोई भी प्रश्न स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रश्न उपरोक्त उल्लिखित प्रोफार्मा में .xls/.xlsx प्रारूप में प्रेषित किए जाने चाहिए।

अनुलग्नक – 8

घोषणा प्रारूप
(बोलीदाता के पत्र शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

<u>घोषणा</u>

मैं ----------पुत्र श्री ----------जो कि ----------में कार्यरत हूँ (सह समीक्षक का नाम और पूरा पता उल्लेखित किया जाए), एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मुझे फर्म द्वारा तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है। मैं, फर्म की ओर से घोषित एवं प्रमाणित करता हूँ कि हमने इस एलटीई दस्तावेज़ **ईसीजीसी/एसीटीएल/पीआर/24-25 और 25-26** में उल्लिखित सभी निबंधन और शर्तों को स्वीकार कर लिया है और हम मेरी/हमारी बोली की स्वीकृति की स्थिति में एलटीई के सभी निबंधन और शर्तों का अनुपालन करेंगे।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेसर्स---------- (सह समीक्षक का नाम)/ इसके किसी भी भागीदार/रिश्तेदार/कर्मचारी/प्रतिनिधि/एजेंट का किसी भी परिस्थिति में ईसीजीसी लिमिटेड/ईसीजीसी लिमिटेड के अधिकारियों, ईसीजीसी लिमिटेड के नियुक्त बीमांकिक के साथ कोई नियोक्ता-कार्मिक संबंध नहीं माना जाएगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरा/हमारा ईसीजीसी लिमिटेड में कोई लाभ का स्थान नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ कि हमारी फर्म किसी भी विनियामक प्राधिकरण/एजेंसी द्वारा डिफॉल्ट/प्रतिबंधित/निषिद्ध/ब्लैकलिस्टेड नहीं है/नहीं थी, जिसमें आईआरडीए, आरबीआई, सेबी, आईसीएआई, सीएजी, आईएआई आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि ईसीजीसी लिमिटेड के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, ईसीजीसी लिमिटेड के नियुक्त बीमांकिक का आवेदक बीमांकिक फर्म में कोई निहित एवं व्यक्तिगत हित नहीं है। मैं एलटीई में संलग्न अनुलग्नक-9 में दिए गए मसौदे के अनुसार हमारी बीमांकिक फर्म की ओर से ईसीजीसी लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने का वचन प्रदान करता हूँ।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सभी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही है। यदि मेरे/हमारे द्वारा सूचीबद्ध मेरे कार्य/ग्राहकों के विषय में कोई पूछताछ की जाती है तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं है।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने बोली की सभी निबंधन और शर्तें पढ़ लिए हैं और वे मुझे/हमें स्वीकार्य हैं। हम आगे घोषणा करते हैं कि हम उनका अनुपालन करेंगे।

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैं/हम वित्त वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान किसी अन्य कार्य के संदर्भ में ईसीजीसी लिमिटेड से संबद्ध नहीं हैं और वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान किसी अन्य कार्य पर ईसीजीसी लिमिटेड से संबद्ध नहीं होंगे।

सह समीक्षक के अधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, मुहर एवं
स्टाम्प सहित

स्थान: ---------- दिनांक:----------

नाम:----------पदनाम: ----------

सदस्यता संख्या:----------

अनुलग्नक – 9

मसौदा समझौता

(निविदा प्रदान किए जाने के उपरांत सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

यह समझौता (एततपश्चात ----------परिशिष्टों के साथ, जिसे "समझौता" कहा जाएगा) ----------जनवरी ----------2025 को किया गया है।

द्वारा और मध्य

ईसीजीसी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय ईसीजीसी भवन, सीटीएस नंबर 393, 393/1 से 45, एमवी रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400069 में है, जिसका एक हिस्सा (जिसे आगे "ईसीजीसी" कहा जाएगा) जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक कि वह संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक एवं अनुमत समनुदेशती शामिल हैं।

एवं

मेसर्स _____ भारतीय बीमांकिक संस्थान के साथ पंजीकृत एक कंपनी/फर्म/एलएलपी (जिसे आगे "सह समीक्षक" कहा जाएगा) जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में है, जिसकी अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो,

उनके/उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक एवं दूसरी ओर अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे।

इस समझौते में, ईसीजीसी एवं सह समीक्षक को व्यक्तिगत रूप से 'एक पक्ष' और सामूहिक रूप से 'पक्ष' के रूप में संदर्भित किया गया है।

क. ईसीजीसी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए ईसीजीसी लिमिटेड में नियुक्त बीमांकिक के कार्य की समीक्षा के लिए बाह्य सह समीक्षक के रूप में बीमांकिक के व्यक्ति/फर्म की नियुक्ति के लिए पात्र बोलीदाताओं से बोलियां आमंत्रित की थीं। (जिसे आगे "एलटीई" कहा जाएगा, जिसमें सभी संलग्नक और अनुलग्नक तथा सभी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन, परिशिष्ट एवं शुद्धिपत्र शामिल होंगे)।

ख. एवं जबकि सह समीक्षक यह प्रदर्शित करता है कि उसके पास आवश्यक संसाधन, विशेषज्ञता, अनुभव है एवं उसके पास "वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए ईसीजीसी की सह समीक्षा" की सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी वैधानिक, नियामक एवं अन्य आवश्यक अनुमोदन हैं और उसने यहां और एलटीई में निर्धारित विनियमों एवं शर्तों और समय-समय पर संप्रेषित ईसीजीसी की किसी भी अन्य उचित अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी बोली प्रस्तुत की है।

ग. और जबकि ईसीजीसी ने एलटीई की सभी निबंधन एवं शर्तों के मूल्यांकन के अनुसार उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सह समीक्षक की बोली को स्वीकार कर लिया है एवं दिनांक ..... के संदर्भ संख्या ..... वाले पत्र के माध्यम से निविदा प्रदान किया गया है।

घ. अब, इस समझौते में निहित वचन एवं प्रसंविदा, तथा अन्य अच्छे एवं मूल्यवान प्रतिफलों के विचार में, जिनकी प्राप्ति और पर्याप्तता को एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है, पक्षों के मध्य निम्नानुसार सहमति व्यक्त की जाती है:

1. परिभाषाएँ :

क. "सेवाएँ" का तात्पर्य उन सेवाओं से है जिसे सह समीक्षक द्वारा अनुबंध के अंतर्गत ईसीजीसी को प्रदान किया जाना आवश्यक है।

ख. "अनुबंध" का अर्थ है ईसीजीसी एवं सह समीक्षक के मध्य किया गया समझौता, और पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित, जिसमें सभी अनुलग्नक एवं परिशिष्ट और संदर्भ द्वारा शामिल सभी दस्तावेज शामिल हैं;

ग. ""अनुबंध मूल्य" का अर्थ है अनुबंध के अंतर्गत सह समीक्षक को उसके संविदात्मक देयता के पूर्ण एवं समुचित निष्पादन के लिए देय मूल्य;

घ. 'गोपनीय सूचना' का अर्थ है कंपनी की वह सभी सूचना जो 'सह समीक्षक' को मौखिक अथवा लिखित रूप से या दृश्य अवलोकन के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान की जाती है एवं इसमें 'व्यापार रहस्य, तकनीकी जानकारी, तकनीक, प्रक्रियाएँ, योजनाएँ, एल्गोरिदम, सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम, स्रोत कोड, व्यवसाय विधियाँ, ग्राहक सूचियाँ, संपर्क, वित्तीय जानकारी, बिक्री एवं विपणन योजनाएँ, तकनीकें, योजनाएँ, डिज़ाइन, अनुबंध, वित्तीय जानकारी, बिक्री एवं विपणन योजनाएँ, व्यवसाय योजनाएँ, ग्राहक, ग्राहक डेटा, व्यवसाय मामले, संचालन, रणनीतियाँ, कार्यप्रणाली, प्रौद्योगिकियाँ, कर्मचारी, उपठेकेदार, किसी भी और सभी समझौतों की सामग्री, सदस्यता सूचियाँ, ग्राहक सूचियाँ, फोटो फ़ाइलें, विज्ञापन सामग्री, अनुबंध कोटेशन, चैरिटी अनुबंध, दस्तावेज़, पासवर्ड, कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम, टेप, पुस्तकें, रिकॉर्ड, फ़ाइलें और कर रिटर्न, डेटा, सांख्यिकी, तथ्य, आंकड़े, संख्याएँ, रिकॉर्ड, नियोजित पेशेवर, अधिवक्ता, सॉलिसिटर, बैरिस्टर, अटॉर्नी, बीमांकिक, सनदी लेखाकार, कंपनी सचिव, डॉक्टर, लेखा परीक्षक जैसे पेशेवरों के साथ किए गए एवं उनसे प्राप्त पत्राचार, सर्वेक्षक, हानि मूल्यांकनकर्ता, अन्वेषक, फोरेंसिक विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, राय, रिपोर्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त संचार के दायरे में आने वाले सभी मामले, प्रेषित एवं प्राप्त विधिक नोटिस, दावा फाइलें, बीमा पॉलिसियाँ, उनकी दरें, लाभ, नियम, शर्तें, बहिष्करण, शुल्क, ग्राहकों/ग्राहकों या उनके प्रतिनिधियों से पत्राचार, प्रस्ताव प्रपत्र, दावा प्रपत्र, शिकायतें, मुकदमे, गवाही, किसी भी जांच से संबंधित मामले, दावा-नोट, न्यायालय, न्यायिक फोरम, अर्ध-न्यायिक निकायों या किसी प्राधिकरण, आयोग, मूल्य निर्धारण, सेवा प्रस्ताव, परिचालन के तरीके, प्रक्रियाएँ, उत्पाद और/या सेवाएँ एवं कंपनी की व्यावसायिक जानकारी शामिल होंगे, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगी।

2. समझौते की अवधि:

2.1. कंपनी इस समझौते के निष्पादन की तिथि से 'सह समीक्षा रिपोर्ट' प्रस्तुत करने की तिथि तक की अवधि के लिए एलटीई में **'कार्यक्षेत्र'** के अंतर्गत स्पष्ट रूप से निर्धारित 'सेवाएं' प्रदान करने के लिए 'सह समीक्षक' की नियुक्ति करती है, अर्थात वित्त वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 जिसके लिए मूल्यांकन हेतु ईसीजीसी द्वारा सह समीक्षक को नियुक्त किया गया है।

2.2. सह समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा नियुक्त बीमांकक द्वारा उस विशेष वित्तीय वर्ष के लिए बीमाकर्ता को आरक्षित अनुमान प्रस्तुत करने से पहले की है।

क. **छूट-** ईसीजीसी इस खंड में निर्दिष्ट किसी भी या सभी शर्तों को लिखित रूप में माफ करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं ऐसी कोई छूट ईसीजीसी के किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को प्रभावित या बाधित नहीं करेगी।

3. कार्यक्षेत्र

इस सह समीक्षा का कार्यक्षेत्र, भारतीय बीमांकिक संस्थान (**जिसे आगे "आईएआई" के रूप में संदर्भित किया जाएगा**) द्वारा जारी "एक्चुरियल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड 33 (एपीएस 33) नियुक्त बीमांकिक के कार्य की सह समीक्षा" (**जिसे आगे "एपीएस 33" के रूप में संदर्भित किया जाएगा**) और एलटीई दस्तावेज़ में निर्दिष्ट अन्य अपेक्षाओं के अनुसार है।

सह समीक्षक द्वारा ईसीजीसी के नियुक्त बीमांकिक को संबोधित एक रिपोर्ट (जिसे यहां "सह समीक्षा रिपोर्ट" कहा गया है) प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें यह उल्लिखित होगा कि सह समीक्षा एपीएस 33 द्वारा निर्धारित ढांचे के अंतर्गत की गई है एवं समीक्षा किए गए कार्य की प्रकृति का वर्णन किया जाएगा।

4. मूल्य एवं भुगतान शर्तें

क. सीमित निविदा जांच दस्तावेज़ में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, सह समीक्षक शुल्क कार्य के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने एवं अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरांत देय होगा।

ख. अनुबंध मूल्य वाणिज्यिक बोली में निर्दिष्ट राशि के समान होगी।

ग. सभी भुगतान केवल भारतीय रुपए में किए जाएंगे एवं क्षतिपूर्ति खंड के प्रावधानों या सह समीक्षक/फर्म से ईसीजीसी को किसी अन्य वसूली योग्य बकाया के अधीन होंगे।

घ. अनुबंध दिए जाने पर कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

ङ. भुगतान केवल ईसीजीसी लिमिटेड के संतोष के आधार पर कार्य के पूर्ण होने के उपरांत, माइलस्टोन के आधार पर, सह समीक्षक से चालान प्राप्त होने पर किया जाएगा।

च. ध्यातव्य है कि ईसीजीसी द्वारा अनुबंध के अनुरूप सहमत राशि के अतिरिक्त किसी भी राशि / व्यय / शुल्क / फीस / यात्रा व्यय / बोर्डिंग व्यय / आवास व्यय / परिवहन व्यय / तुरंत किए जाने वाले भुगतान व्यय के संदर्भ में भुगतान नहीं किया जाएगा।

छ. उल्लिखित मूल्य में सभी लागू कर एवं शुल्क शामिल नहीं हैं, जिनका भुगतान कंपनी द्वारा चालान की तिथि पर वास्तविक रूप से किया जाएगा।

ज. सभी भुगतान टीडीएस और भुगतान के समय लागू कर नियमों के अनुसार अन्य करों के अधीन होंगे।

झ. कंपनी को सभी भुगतान, चालान के साथ प्रासंगिक सहायक दस्तावेज (यदि कोई हो) प्रस्तुत करने के आधार पर किए जाएंगे।

ञ. **भुगतान माइलस्टोन:**

भुगतान निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित डिलिवरेबल्स के अनुरूप जारी किया जाएगा:

क्रम संख्या	डिलिवरेबल्स	वाणिज्यिक बोली के अनुसार भुगतान
1.	कंपनी के अनुसार संतोषजनक रूप से वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए सह समीक्षा पूर्ण होने पर	50%

2.	कंपनी के अनुसार संतोषजनक रूप से वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए सह समीक्षा पूर्ण होने पर	50%

5. सह समीक्षक के उत्तरदायित्व

सह समीक्षक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:

i. **कार्य के प्रासंगिक क्षेत्र** में निर्दिष्ट प्रकार एवं गुणवत्ता के दस्तावेज, विश्लेषण, डेटा प्रोग्राम एवं वितरित या प्रदान की जाने वाली सेवाएं प्रदान करना।

ii. निर्दिष्ट कार्य के संबंध में अपने पेशेवर स्टाफ (यदि कोई हो) का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना

iii. सेवाएँ प्रदान करते समय सभी लागू कानूनों का अनुपालन करना

iv. **कार्यक्षेत्र** में उल्लिखित सेवाओं के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले कोई अन्य उत्तरदायित्व।

6. कंपनी के उत्तरदायित्व

कंपनी, अपनी ओर से, इसके लिए जिम्मेदार होगी:

i. ऑफ़साइट या इसके परिसर में सेवाओं की डिलीवरी के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना, जिसमें आवश्यक दस्तावेज़, रिपोर्ट एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल है, जैसा कि कार्य के प्रासंगिक क्षेत्र में निर्धारित किया गया है।

ii. सह समीक्षक को कुशलतापूर्वक सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक सभी अन्य सामान्य कार्य करना।

7. बौद्धिक संपदा

क. सह समीक्षक द्वारा ईसीजीसी लिमिटेड को कार्य के दौरान रिपोर्ट, दस्तावेज एवं अन्य सभी प्रासंगिक सामग्री, कलाकृतियाँ आदि प्रदान करेगा एवं ईसीजीसी लिमिटेड ऐसी रिपोर्टों, दस्तावेजों और अन्य सभी प्रासंगिक सामग्रियों, कलाकृतियों आदि में सभी आईपीआर का स्वामी होगा। ऐसे सभी दस्तावेजों को सह समीक्षक द्वारा गोपनीय जानकारी माना जाएगा।

ख. सह समीक्षक इस समझौते के संबंध में विकसित या आपूर्ति की गई डिलिवरेबल्स में निहित कार्यप्रणाली, प्रक्रियाओं, तकनीकों, विचारों, अवधारणाओं आदि में बौद्धिक अधिकारों सहित सभी अधिकार, स्वत्व, हित बनाए रखेगा।

ग. अनुबंध में शामिल कोई भी रॉयल्टी या पेटेंट या उसके उपयोग या उल्लंघन के लिए शुल्क मूल्य में शामिल किया जाएगा। सह समीक्षक द्वारा ईसीजीसी को किसी भी दावे के खिलाफ सुरक्षा प्रदान किया जाएगा।

घ. स्पष्टता के लिए, पक्ष सहमत हैं और विशेष रूप से प्रावधान करते हैं कि सह समीक्षक सभी सह समीक्षक प्रमाणपत्रों, सह समीक्षक सॉफ्टवेयर/उत्पादों, जिनमें कोई भी नया विमोचन और अपग्रेड शामिल हैं, के पूर्ण अधिकार एवं स्वामित्व को बनाए रखेगा।

ङ. तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि डिलिवरेबल्स में कंपनी के किसी भी पूर्व-मौजूदा बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं, तो उसमें निहित अधिकार कंपनी के पास ही बने रहेंगे।

च. कोई भी पक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरे पक्ष के किसी भी ट्रेडमार्क, व्यापार नाम, सेवा चिह्न एवं लोगो का किसी भी तरीके से उपयोग नहीं करेगा, सिवाय इसके कि दूसरे पक्ष द्वारा लिखित रूप में इसकी अनुमति प्रदान की गई हो।

छ. सह समीक्षक ईसीजीसी की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के अस्तित्व या निबंधन एवं शर्तों का विज्ञापन, प्रकाशन या प्रकटीकरण नहीं करने के लिए सहमत है या यह कि उसने इस समझौते में वर्णित सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता किया है।

8. गोपनीयता

क. कंपनी को सभी गोपनीय सूचनाओं का स्वामी माना जाएगा

ख. सह समीक्षक द्वारा कंपनी की गोपनीय जानकारी का उपयोग केवल इस सेवा अनुबंध के भाग के रूप में और इसके आगे के लिए अपने दायित्वों को पूर्ण करने के लिए किया जाएगा।

ग. सह समीक्षक गोपनीय जानकारी का किसी भी ऐसे प्रकार से उपयोग नहीं करेगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों या सहयोगियों के लिए हानिकारक हो एवं गोपनीय जानकारी को किसी अनधिकृत अन्य पक्ष को प्रकट नहीं करेगा। सह समीक्षक किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में कोई गोपनीय जानकारी प्रकट नहीं करेगा, सिवाय इसके कर्मचारियों और सलाहकारों के, जिन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिन्होंने किसी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण या उस तक पहुंच से पहले इस समझौते में निर्दिष्ट प्रतिबंधात्मक शर्तों के अंतर्गत इसे प्राप्त करने के लिए लिखित रूप में सहमति व्यक्त की है। इस संबंध में, सह समीक्षक एवं ऐसे किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के मध्य कोई भी समझौता उसके तुरंत बाद कंपनी को भेजा जाएगा। ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को कोई गोपनीय जानकारी बताने से पहले, सह समीक्षक उन्हें जानकारी की गोपनीय प्रकृति और किसी अन्य पक्ष को गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण न करने के उनके दायित्व के विषय में सूचित करेगा।

घ. सह समीक्षक गोपनीय जानकारी की सुरक्षा में उसी तरह की सावधानी बरतेगा जैसा वह अपनी गोपनीय जानकारी की सुरक्षा में करता है या करता होगा, और गोपनीय जानकारी को अपने किसी भी कर्मचारी, कार्यालय, सहायक कंपनी, सहयोगी या सलाहकार द्वारा किसी भी अनधिकृत या अनजाने उपयोग से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

ङ. सह समीक्षक, कंपनी के साथ सूचना साझा करने सहित भंडारण, प्रसंस्करण, पारगमन या विश्लेषण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित डेटा को संभालते समय गोपनीयता भंग से बचने के लिए केवल सर्वोत्तम संभव सुरक्षित पद्धति का उपयोग करेगा।

च. सह समीक्षक यह स्वीकार करता है कि सह समीक्षक द्वारा गोपनीय जानकारी का कोई भी वास्तविक या दबावपूर्ण प्रकटीकरण या उपयोग इस समझौते का उल्लंघन होगा एवं इससे कंपनी या उसके ग्राहकों को त्वरित एवं अपूरणीय क्षति हो सकती है; सह समीक्षक यह पुष्टि करता है कि इस तरह के प्रकटीकरण या उपयोग से होने वाले नुकसान को सटीक रूप से मापना असंभव हो सकता है; और कंपनी / उसके ग्राहकों को होने वाली क्षति की गणना करना और पूर्ण क्षतिपूर्ति किया जाना असंभव हो सकता है। इसलिए, सह समीक्षक स्वीकार करता है कि इस तरह के उल्लंघन की स्थिति में, कंपनी इस समझौते में निहित अपने दायित्वों के सह समीक्षक द्वारा विशिष्ट निष्पादन की हकदार होगी। इसके अलावा, सह समीक्षक कंपनी को वास्तविक और परिसमाप्त क्षति के रूप में हुई हानि या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करेगा, जिसकी मांग की जा सकती है। इसके अलावा, कंपनी मुकदमेबाजी की सभी लागतों को वसूलने की हकदार होगी, जिसमें वकीलों की समुचित फीस भी शामिल है, जो सह समीक्षक द्वारा गोपनीयता के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होने वाले अपने हितों की रक्षा एवं संविदात्मक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में वहन कर सकती है। इसके अंतर्गत सभी अधिकार एवं उपचार संचयी हैं और किसी भी लागू कानून, इक्विटी या इस समझौते के अंतर्गत किसी भी अन्य अधिकार या उपचार के अतिरिक्त हैं, जो केवल यहां उल्लिखित किसी भी सीमा के अधीन हैं।

9. क्षतिपूर्ति

सह समीक्षक इस अनुबंध के मूल्य की सीमा तक क्षतिपूर्ति करेगा और ईसीजीसी को हानिरहित बनाए रखेगा। –

क. इस समझौते के अंतर्गत सह समीक्षा/सेवाओं के संचालन में किसी भी वैधानिक अपेक्षाओं के उल्लंघन/अनुपालन न करने के कारण ईसीजीसी को होने वाली किसी भी हानि या क्षति, दावे, लागत या परिणाम हेतु।

ख. इस समझौते के संबंध में या इसके प्रासंगिक सह समीक्षक/फर्म की टीम या किसी तीसरे पक्ष द्वारा की गई किसी लापरवाही या गलत कार्य या चूक या जानबूझकर किए गए कदाचार के कारण ईसीजीसी को हुए किसी भी नुकसान हेतु।

ग. उनके कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा किए गए किसी भी कार्य, कर्म या बातों के लिए जो ईसीजीसी द्वारा दिए गए कार्य या निहित अधिकार या जारी निर्देशों की सीमा से बाहर है।

घ. बोली, एलटीई दस्तावेज़ एवं इस समझौते की किसी भी शर्त का सह समीक्षक या उसकी टीम या किसी अन्य पक्ष द्वारा उल्लंघन, इस समझौते के अंतर्गत निष्पादन या गैर- निष्पादन।

ङ. ईसीजीसी अपने दायित्वों के निष्पादन में विलंब की स्थिति में समझौता को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है एवं विलंब के लिए परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगा सकता है। ऐसे विलंब के कारण, किसी भी विनियामक या वैधानिक निकाय द्वारा ईसीजीसी पर लगाए गए किसी भी दंड को मौद्रिक रूप में सह समीक्षक द्वारा वहन किया जाएगा। क्षतिपूर्ति ईसीजीसी के पक्ष में अनुबंध राशि के 100% तक होगी।

च. क्षतिपूर्ति से संबंधित सभी दावे इस समझौते की समाप्ति या समापन के उपरांत भी लागू रहेंगे।

10. वारंटी और वारंटी अस्वीकरण

सह समीक्षक इस बात की गारंटी देता है कि सह समीक्षक **कार्यक्षेत्र** के अनुसार सेवाएँ प्रदान करेगा और इसके दौरान, वह उसी स्तर की व्यावसायिक क्षमता, सावधानी, कौशल, परिश्रम एवं विवेक का प्रयोग करेगा जैसा कि आमतौर पर बीमांकिक क्षेत्र में पेशेवरों के द्वारा किया जाता है।

11. परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति/दायित्व खंड

कंपनी निम्नलिखित स्थिति में सह समीक्षक को भुगतान किए जाने वाले कुल अनुबंध मूल्य से कटौती करने का अधिकार सुरक्षित रखती है:

कारण	एक सप्ताह का विलंब	एक सप्ताह या उसके भाग से अधिक का विलंब
सहमत समय-सीमा से परे डिलिवरेबल्स /सेवाएं प्रदान करने/सुनिश्चित करने में विलंब (सह समीक्षक के कारण विलंब)	चेतावनी नोट	अनुबंध मूल्य का 5%, एवं सप्ताह के भाग के लिए आनुपातिक रूप से। न्यूनतम 5%
कंपनी द्वारा दिए गए संदर्भों का उत्तर देने में अत्यधिक विलंब (सह समीक्षक के कारण विलंब)	चेतावनी नोट	अनुबंध मूल्य का 5%, एवं सप्ताह के भाग के लिए आनुपातिक रूप से। न्यूनतम 5%

क. जब ऐसा कोई परिनिश्चित क्षतिपूर्ति लगाया जाता है तो उसे ईसीजीसी द्वारा सह समीक्षक को किसी भी लंबित भुगतान/भविष्य के भुगतान के संदर्भ में समायोजित किया जा सकता है।

ख. लगाए गए सभी परिसमाप्त नुकसान एक दूसरे से अलग होंगे। किसी भी समय कुल परिसमाप्त नुकसान अनुबंध मूल्य के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि परिसमाप्त नुकसान इस राशि से अधिक है, तो ईसीजीसी लिखित रूप में 15 दिनों का नोटिस देकर इस अनुबंध को समाप्त करने या अनुबंध के अंतर्गत उपलब्ध अन्य उपायों का पालन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ग. परिसमाप्त क्षति की ऐसी कोई भी वसूली किसी भी तरह से सह समीक्षक को कार्य पूर्ण करने के अपने किसी भी दायित्व से या इस समझौते के अंतर्गत किसी भी अन्य दायित्वों एवं देयताओं से मुक्त नहीं करेगी।

12. समापन

(i) अनुबंध के अंतर्गत किसी उल्लंघन (भौतिक प्रकृति का) या अनुबंध के अंतर्गत देयता वाले किसी अन्य बाद के दस्तावेज़ के मामले में, कंपनी सह समीक्षक को सूचित करेगी और कंपनी के संतोष के अनुसार उल्लंघन को सुधारने के लिए अधिकतम 7 दिनों की अवधि प्रदान करेगी। यदि उल्लंघन को कंपनी के संतोष के अनुरूप ठीक नहीं किया जाता है, तो कंपनी अनुबंध को समाप्त कर सकती है।

(ii) इस समझौते की अवधि के दौरान, यदि ईसीजीसी को सह समीक्षक के विषय में कोई प्रतिकूल जानकारी मिलती है या सह समीक्षक द्वारा किए गए अभ्यावेदन अनुचित पाए जाते हैं, तो ईसीजीसी द्वारा इस समझौते को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है।

(iii) इस समझौते की अवधि पूर्ण होने से पहले इस समझौते को समाप्त करने पर, सह समीक्षक समापन की तिथि तक प्रदान की गई सेवाओं के हिस्से के लिए शुल्क के भुगतान का हकदार होगा।

(iv) इस समझौते के समापन की स्थिति में, ईसीजीसी के समक्ष इस एलटीई प्रक्रिया के अगले सर्वोत्तम मूल्य बोलीदाता को नई बोलियां आमंत्रित करने या आशय पत्र/अधिनिर्णय की अधिसूचना जारी करने का अधिकार सुरक्षित है।

(v) किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव किए बिना, ईसीजीसी, ईसीजीसी द्वारा देय एवं देय राशि के भुगतान से ऐसी राशि रख सकता है, जो ईसीजीसी को सह समीक्षक के किसी 'कार्य/चूक/कमीशन' के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक हो सकती है। इस अनुबंध के अंतर्गत कार्यक्षेत्र को निष्पादित करने के संबंध में अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में सह समीक्षक की ओर से चूक के कारण किसी भी नुकसान या क्षति के मामले में, सह समीक्षक ईसीजीसी को ईसीजीसी द्वारा उठाए गए किसी भी ऐसे नुकसान, क्षति या अन्य लागतों के लिए क्षतिपूर्ति करेगा।

(vi) इस समझौते की समाप्ति से किसी भी पक्ष के किसी भी अर्जित अधिकार या देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही इस समझौते के उन प्रावधानों के परिचालन पर कोई प्रभाव पड़ेगा जो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ रूप से ऐसी समाप्ति पर या उसके उपरांत लागू होने या जारी रहने के लिए अभिप्रेत हैं।

13. विवाद समाधान, शासी विधि एवं अधिकार क्षेत्र

इस समझौते को भारत की विधि के अनुसार शासित एवं व्याख्यित किया जाए। एलटीई, बाद में दिए गए अनुबंध या अनुबंध की निबंधन एवं शर्तों के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए मुंबई की अदालतों के समक्ष ही विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

14. अप्रत्याशित घटना:

अनुबंध की शर्तों एवं निबंधनों के प्रावधानों के बावजूद, सह समीक्षक परिनिर्धारित क्षति या चूक के कारण होने वाले समापन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि और इस सीमा तक कि अनुबंध

के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में विलंब या अन्य विफलता किसी अप्रत्याशित घटना का परिणाम है।

इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ सह समीक्षक के नियंत्रण से परे कोई घटना है और जिसमें सह समीक्षक की गलती या लापरवाही शामिल नहीं है और जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। ऐसी घटनाओं में ईसीजीसी की संप्रभु क्षमता में किए गए कार्य, युद्ध या क्रांति, आग, बाढ़, महामारी, संगरोध प्रतिबंध और माल ढुलाई प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन तक ही सीमित नहीं हैं।

यदि कोई अप्रत्याशित घटना होती है, तो सह समीक्षक ऐसी स्थिति और उसके कारण के विषय में ईसीजीसी को लिखित रूप में तुरंत सूचित करेगा। जब तक ईसीजीसी द्वारा लिखित रूप में अन्यथा निर्देशित न किया जाए, सह समीक्षक अनुबंध के अंतर्गत अपने देयताओं का पालन करना जारी रखेगा, जहाँ तक उचित रूप से व्यावहारिक हो, और अप्रत्याशित घटना द्वारा बाधित न किए गए निष्पादन के लिए सभी उचित वैकल्पिक साधनों की तलाश करेगा।

15. विविध प्रावधान

क. पक्षों के बीच यह स्पष्ट रूप से सहमति है कि अनुबंध, सीमित निविदा जांच (एलटीई), उसके उपरांत जारी किया गया कोई भी परिशिष्ट या शुद्धिपत्र और उसके पूर्ण अनुलग्नक पक्षों के मध्य संपूर्ण समझौता का गठन करते हैं।

ख. सह समीक्षक द्वारा ईसीजीसी को लिखित रूप में सभी वास्तविक और संभावित हितों के टकरावों का प्रकटीकरण किया जाना चाहिए जो सेवाओं के निष्पादन के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं (या तो सह समीक्षक या सह समीक्षक की टीम के लिए) जैसे ही उसे उस टकराव के विषय में ज्ञात होता है।

ग. सभी नोटिस, अनुरोध, मांग या अन्य संचार जो इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, लिखित रूप में ऊपर उल्लिखित पतों पर संबोधित किए जाएंगे और प्राप्त होने पर उन्हें विधिवत दिया गया माना जाएगा। नोटिस ऊपर बताए गए पतों पर और इस समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं के ध्यानार्थ या ऐसे अन्य पतों या व्यक्तियों को भेजे जाएंगे, जिन पर पक्षकार समय-समय पर लिखित रूप में परस्पर सहमति व्यक्त कर सकते हैं।

घ. सह समीक्षक इस बात से सहमत हैं और वचनबद्ध हैं कि उन्होंने हमारे प्रस्ताव/प्रस्ताव/बोली/निविदा/अनुबंध के प्रसंस्करण और/या अनुमोदन में शामिल ईसीजीसी के किसी भी कर्मचारी को या किसी अन्य व्यक्ति को, हमारे प्रस्ताव/प्रस्ताव/बोली/निविदा/अनुबंध के प्रसंस्करण और/या अनुमोदन से पहले या उसके दौरान या उसके उपरांत, किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के लिए, सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से कोई भी भौतिक या कोई अन्य लाभ, जिसका वह विधिक रूप से हकदार नहीं है, की पेशकश, वादा या प्रदान नहीं किया है और न ही करेंगे।

ङ. इस समझौते की अवधि के दौरान और उसके एक वर्ष के उपरांत, पक्षकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी पक्षकार के कार्मिक या कर्मचारी को रोजगार के लिए अनुरोध, प्रोत्साहन या आग्रह, प्रेरित या प्रोत्साहित करने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक कि दूसरे पक्षकार से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त न हो; तथापि, उपर्युक्त उन कर्मचारियों की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगी जो इंटरनेट या सामान्य संचलन के अन्य विज्ञापनों पर प्रतिक्रिया देते हैं जो विशेष रूप से ऐसे कर्मचारियों के लिए लक्षित नहीं हैं।

च. कंपनी और सह समीक्षक के मध्य का संबंध पूर्णतः एक स्वतंत्र कौंट्रैक्टर का है और यह संबंध प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल आधार पर है। इस समझौते का कोई भी हिस्सा और पक्षों के मध्य किसी भी तरह के संव्यवहार को एक पक्ष और दूसरे पक्ष या दूसरे पक्ष के कर्मचारियों या ग्राहकों या एजेंटों के मध्य रोजगार या एजेंसी संबंध या साझेदारी बनाने के लिए संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए।

छ. यह समझौता किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना नहीं समनुदेशित किया जाएगा।

ज. यदि इस समझौते का कोई प्रावधान अमान्य, अवैध या लागू न करने योग्य पाया जाता है, तो ऐसे प्रावधान को समझौते से हटा दिया जाएगा और इस समझौते के शेष प्रावधान पूर्ण रूप से लागू रहेंगे।

झ. किसी भी पक्ष की ओर से इसके अंतर्गत किसी भी अधिकार का प्रयोग करने में विफलता या विलंब को उसकी 'छूट' नहीं माना जाएगा, न ही कोई एकल या आंशिक प्रयोग ऐसे या किसी अन्य अधिकार के किसी भी आगे या अन्य प्रयोग को रोकेगा।

ञ. किसी भी कारण से इस समझौता की समाप्ति या निरस्तीकरण किसी भी पक्ष को इस समझौता में निर्धारित या इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता या दायित्व से मुक्त नहीं करेगा, जो निष्पादित किया जाना बाकी है या उनकी प्रकृति से किसी भी ऐसी समाप्ति या निरस्तीकरण के उपरांत लागू किया जाना निहितार्थ है।

ट. यह समझौता, उक्त एलटीई, बोलियों और अन्य अनुलग्नकों सहित, इस विषय से संबंधित पक्षों के मध्य संपूर्ण समझौता गठित करता है और इससे पहले पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए किसी भी पूर्व प्रस्ताव, समझ, पत्राचार या अन्य दस्तावेजों का स्थान लेता है। इस समझौते को केवल दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित लिखित समझौते द्वारा परिवर्तित, पूरक या संशोधित किया जा सकता है।

ठ. यह समझौता प्रतिरूपों में निष्पादित किया जा सकता है, जो मिलकर एक दस्तावेज का निर्माण करेंगे।

जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने उपरोक्त अंकित दिवस और वर्ष को अपनी-अपनी सामान्य मुहरें लगा दी हैं (या अपने-अपने हस्ताक्षर और मुहर लगा दी हैं)

बाध्यकारी हस्ताक्षर **बाध्यकारी हस्ताक्षर**

ईसीजीसी लिमिटेड सह समीक्षक

साक्षी: **साक्षी:**

1. 1.

2. 2.

अनुलग्नक – 10

सत्यनिष्ठा संहिता

<u>घोषणा</u>

मैं/हम..... ..... (फर्म का नाम और फर्म का पूरा पता उल्लेखित किया जाना चाहिए) ----------में कार्य कर रहे हैं, इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं और घोषणा करते हैं कि मुझे बोलियों पर हस्ताक्षर करने के लिए फर्म द्वारा अधिकृत किया गया है। मैं, फर्म की ओर से घोषणा एवं प्रमाणित करता हूं कि हमने एलटीई **ईसीजीसी/एसीटीएल/पीआर/24-25 और 25-26** में उल्लिखित सभी विनियमों एवं शर्तों को स्वीकार कर लिया है और हम नियुक्ति पत्र/अनुबंध/एलटीई के सभी विनियमों और शर्तों का अनुपालन करेंगे।

मैं/हम इस बात से सहमत हैं और वचनबद्धता व्यक्त करते हैं कि हमने प्रत्यक्ष तौर पर या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से हमारे प्रस्ताव/प्रस्ताव/बोली/निविदा/अनुबंध की प्रक्रिया और/या अनुमोदन में शामिल ईसीजीसी के किसी भी कार्मिक को या किसी अन्य व्यक्ति को हमारे प्रस्ताव/प्रस्ताव/बोली/निविदा/अनुबंध की प्रक्रिया और/या अनुमोदन से पहले या उसके दौरान या बाद में किसी भी प्रकार का प्रतिफल में लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी भौतिक या अन्य लाभ जिसका वह विधिक रूप से हकदार नहीं है, की पेशकश, वादा या प्रदान नहीं किया है और न ही हम पेशकश अथवा वादा करेंगे या प्रदान करेंगे।

मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि एलटीई **ईसीजीसी/एसीटीएल/पीआर/24-25 और 25-26** के प्रतिक्रिया में ईसीजीसी को प्रस्तुत मेरी/हमारी बोली के संबंध में, मैं/हम..... एतद्द्वारा वचन देते हैं कि मैं/हम सत्यनिष्ठा संहिता का पालन करेंगे एवं हितों के किसी भी टकराव के विषय में हमेशा प्रकटीकरण करेंगे, और समझते हैं कि सत्यनिष्ठा संहिता का कोई भी उल्लंघन मुझे/हमें पंजीकृत सलाहकारों की सूची से हटाए जाने के लिए उत्तरदायी बनाएगा, और मुझे/हमें अन्य दंडात्मक और दंडात्मक कार्रवाई जैसे अनुबंधों को रद्द करना, प्रतिबंध लगाना, बहिष्कृत करना एवं काली सूची में डालना या विधिक अदालत में कार्रवाई आदि के अधीन करेगा।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मुहर और स्टाम्प सहित हस्ताक्षर

दिनांक : स्थान :

नाम :

पदनाम :

पता

****** दस्तावेज़ का समापन ******